

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकास आयुक्त श्री ए. बिपिन मेनन की अध्यक्षता में 20.09.2023 को सुबह 11:00 बजे आयोजित जयपुर विशेष आर्थिक क्षेत्र, सीतापुरा (बहु उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र) की अनुमोदन समिति की बैठक का विवरण।

बैठक के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:

- श्री प्रवीण कुमार मित्तल, अतिरिक्त आयकर आयुक्त, जयपुर।
- श्री. पी.एन.शर्मा, संयुक्त निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- श्री नितिन गुप्ता, उप विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, नोएडा।
- श्री रामजीलाल मीना, उप विदेश व्यापार महानिदेशालय, जयपुर
- श्री अनिल लखानी, उप प्रबंधक, रीको, जयपुर।

(i) श्री बुद्धि प्रकाश, निर्दिष्ट अधिकारी; (ii) श्री संजय झा, सीनियर आरएम (रीको); और (iii) श्री पंकज शर्मा, सहायक विकास आयुक्त भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित थे। बताया गया कि गणपूर्ति पूरा हो गया और बैठक आगे बढ़ सकती हैं।

अध्यक्ष ने प्रारंभ में प्रतिभागियों का स्वागत किया और क्रमिक रूप से कार्यसूची पर विचार किया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के साथ-साथ विकासक/इकाइयों के प्रतिनिधियों/आवेदकों के साथ बातचीत के बाद, निम्नलिखित निर्णय सर्वसम्मति लिए गए:

कार्यसूची नंबर 1: 28.08.2023 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन:

यह सूचित किया गया कि 28.08.2023 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक के निर्णयों के विरुद्ध अनुमोदन समिति/व्यापार/इकाई के किसी भी सदस्य से कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ है। अतः दिनांक 28.08.2023 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक के कार्यवृत्त का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

कार्यसूची नंबर 1: मौजूदा एलओए में नई वस्तुओं को जोड़ने/संशोधन और उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए मेसर्स जेम सेंटर का प्रस्ताव:

1.1 मौजूदा स्वीकृति पत्र नंबर 1-11/2022-23- विशेष आर्थिक क्षेत्र-1 (जे) परियोजना/126 दिनांक: 15.05.2023 में नई वस्तुओं को जोड़ने/संशोधित करने और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए मेसर्स जेम सेंटर, प्लॉट नंबर जी1-30, विशेष आर्थिक क्षेत्र-1, सीतापुरा, जयपुर का प्रस्ताव की बैठक में चर्चा की गई।

1.2 श्री विपिन जैन और नीलेश जैन, जीएम, इकाई की ओर से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया। समिति द्वारा पूछे जाने पर, उन्होंने बताया कि इकाई आगे की कार्रवाई के लिए टिप्पणियों के सही विवरण और उत्तरों के साथ संशोधित फॉर्म-एफ3 जमा करेगी।

1.3 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से निम्नलिखित वस्तुओं को छोड़कर मौजूदा स्वीकृति पत्र में वस्तुओं को जोड़ने/संशोधित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी:

क्रमांक	आईटीसी/सीपीसी कोड	वस्तु विवरण:	मीट्रिक	उत्पादन क्षमता
1.	71011010	प्राकृतिक मोती - बिना काम किया हुआ	किग्रा	5.00
2.	71012100	सुसंस्कृत मोती-बिना काम किया हुआ	किग्रा	5.00
3.	71131149	प्रयोगशाला में विकसित हीरे-बिना काम किया हुआ	कैरट	50000.00
4.	71131919	चाँदी की वस्तुएँ	किग्रा	2000.00

सुरेंद्र मलिक

क्रमांक	आईटीसी/सीपीसी कोड	वस्तु विवरण:	मीट्रिक	उत्पादन क्षमता
5.	71131920	सोने की वस्तुएँ	किग्रा	5.00
6.	96019020	प्लैटिनम की वस्तुएँ	किग्रा	5.00
7.	71131145	मोती का सीप की वस्तुएँ	किग्रा	20.00

इसके अलावा, अनुमोदन समिति ने निम्नलिखित वस्तुओं के विवरण में भी परिवर्तन देखा: -

क्रमांक	आईटीसी/सीपीसी कोड	वस्तु विवरण:	मीट्रिक	उत्पादन क्षमता
1.	71131145	हीरे और एमओपी के अलावा रत्नों से जड़ित चांदी के आभूषण	किग्रा	2000.00

इसके अलावा, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से विकास आयुक्त के कार्यालय को मौजूदा स्वीकृति पत्र में निम्नलिखित उत्पादों को जोड़ने/संशोधित करने और फाइल पर अधिकृत संचालन की जांच करने और निर्णय लेने का अधिकार देने का निर्णय लिया, बशर्ते कि खरीदारों के ऑर्डर पूरे विवरण के साथ प्रस्तुत किए जाएं:-

क्रमांक	आईटीसी/सीपीसी कोड	वस्तु विवरण:	मीट्रिक	उत्पादन क्षमता
1.	71131143	हीरे जड़ित चांदी के आभूषण 7102	किग्रा	100.00
2.	71131144	हीरे जड़ित चांदी के आभूषण 7104	किग्रा	100.00
3.	71131143	मरम्मत, पिघलाए, टूटे और प्रयुक्त हीरे जड़ित चांदी के आभूषण 7102	किग्रा	50.00

1.4 अनुमोदन इकाई को पहले ही बताई गई टिप्पणियों के सुधार के अधीन है। इकाई वाणिज्य विभाग द्वारा जारी वि.व्या.नी 2015-20 से संबंधित निर्देश संख्या 88 दिनांक 16.08.2017 का सख्ती से पालन करेगी। इसके अलावा, इकाई उपरोक्त उद्देश्यों के लिए बांड सह कानूनी उपक्रम भी निष्पादित करेगी।

कार्यसूची नंबर 2: नई वस्तुओं को जोड़ने/संशोधित करने के लिए मेसर्स अयाना ज्वेल्स का प्रस्ताव:

2.1 मौजूदा स्वीकृति पत्र नंबर 2-207/ विशेष आर्थिक क्षेत्र-II (जे) परियोजना /878 दिनांक 22.11.2011 में नई वस्तुओं को जोड़ने/संशोधित करने के लिए मेसर्स अयाना ज्वेल्स, प्लॉट नंबर एच1-88 और एफ-23 (किराये पर), विशेष आर्थिक क्षेत्र-II, सीतापुरा, जयपुर का प्रस्ताव पर बैठक में चर्चा की गई।

2.2 श्री रॉबिन जैन, मानव संसाधन प्रबंधक, इकाई की ओर से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया। समिति द्वारा पूछे जाने पर, उन्होंने बताया कि इकाई आगे की कार्रवाई के लिए टिप्पणियों के सही विवरण और उत्तरों के साथ संशोधित फॉर्म-एफ3 जमा करेगी।

2.3 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से निम्नलिखित वस्तुओं को छोड़कर मौजूदा स्वीकृति पत्र में वस्तुओं को जोड़ने/संशोधित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी:

सुरेश मलिक

क्रमांक	आईटीसी/सीपीसी कोड	वस्तु विवरण:	मीट्रिक	उत्पादन क्षमता
1.	71041000	पीजो-विद्युत बिल्लौर - बिना काम किया हुआ	किग्रा	150
2.	71042100	प्रयोगशाला में विकसित हीरा- बिना काम किया हुआ	किग्रा	100
3.	71042900	मोटे आकार के अन्य कृत्रिम पत्थर-बिना काम किया हुआ	किग्रा	100
4.	05080010	मूंगा	किग्रा	100

इसके अलावा, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से विकास आयुक्त के कार्यालय को मौजूदा स्वीकृति पत्र में निम्नलिखित उत्पादों को जोड़ने/संशोधन करने और फ़ाइल में अधिकृत संचालन को नोट करने/अनुमोदित करने का अधिकार देने का निर्णय लिया, जो पिछले कुछ महीनों और कोई भी निर्यात ऑर्डर्स के दौरान पहले से दायर वस्तुओं के लदान बिल जमा करने के अधीन है:-

क्रमांक	आईटीसी/सीपीसी कोड	वस्तु विवरण:	मीट्रिक	उत्पादन क्षमता
1.	71131143	प्राकृतिक हीरों से जड़ित चांदी के आभूषण के शीर्षक 71023910	किग्रा	500
2.	71131144	सिंथेटिक हीरे जड़ित चांदी के आभूषण के शीर्षक 7104	किग्रा	1000

2.4 अनुमोदन इकाई को पहले ही बताई गई टिप्पणियों के सुधार के अधीन है। इकाई वाणिज्य विभाग द्वारा जारी वि.व्या.नी 2015-20 से संबंधित निर्देश संख्या 88 दिनांक 16.08.2017 का सख्ती से पालन करेगी। इसके अलावा, इकाई उपरोक्त उद्देश्यों के लिए बांड सह कानूनी उपक्रम भी निष्पादित करेगी।

कार्यसूची नंबर 3: नई वस्तुओं को जोड़ने/संशोधित करने के लिए मैसर्स गणपति जेम्स एंड ज्वैलर्स का प्रस्ताव:

3.1 मौजूदा स्वीकृति पत्र संख्या 2-133-विशेष आर्थिक क्षेत्र-II (जे) परियोजना/718 दिनांक: 12.10.2006 में नई वस्तुओं को जोड़ने/संशोधित करने के लिए मैसर्स गणपति जेम्स एंड ज्वैलर्स, प्लॉट नंबर एच1-80, विशेष आर्थिक क्षेत्र-II, सीतापुरा, जयपुर का प्रस्ताव पर बैठक में चर्चा की गई।

3.2 श्री सौरभ शर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि इकाई की ओर से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया। समिति द्वारा पूछे जाने पर, उन्होंने बताया कि इकाई आगे की कार्रवाई के लिए टिप्पणियों के सही विवरण और उत्तरों के साथ संशोधित फॉर्म-एफ3 जमा करेगी।

3.3 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से निम्नलिखित वस्तुओं को छोड़कर मौजूदा स्वीकृति पत्र में वस्तुओं को जोड़ने/संशोधित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी: -

क्रमांक	आईटीसी/सीपीसी कोड	वस्तु विवरण:	मीट्रिक	उत्पादन क्षमता
1.	71131143	प्राकृतिक हीरों से जड़ित चांदी के आभूषण	किग्रा	2000
2.	71131144	कृत्रिम हीरे जड़ित चांदी के आभूषण	किग्रा	1000
3.	71141110	चाँदी की वस्तुएँ	किग्रा	100
4.	71141120	चाँदी की वस्तुओं के भाग	किग्रा	50
5.	71141910	सोने की वस्तुएँ	किग्रा	50
6.	71141920	प्लैटिनम की वस्तुएँ	किग्रा	50

सुरेश मालिक

क्रमांक	आईटीसी/सीपीसी कोड	वस्तु विवरण:	मीट्रिक	उत्पादन क्षमता
7.	71141930	सोने और प्लेटिनम की वस्तुओं के भाग	किग्रा	50
8.	05080010	मूंगा	किग्रा	50
9.	71049100	प्रयोगशाला में विकसित हीरा	कैरट	20000

3.4 यह मंजूरी इकाई को पहले ही बताई गई टिप्पणियों में सुधार और रीको के 1.58 लाख रुपये के बकाया को जमा करने के अधीन है। इकाई वाणिज्य विभाग द्वारा जारी वि.व्या.नी 2015-20 से संबंधित निर्देश संख्या 88 दिनांक 16.08.2017 का सख्ती से पालन करेगी। इसके अलावा, इकाई उपरोक्त उद्देश्यों के लिए बांड सह कानूनी उपक्रम भी निष्पादित करेगी।

कार्यसूची नंबर 4: अधिकृत वस्तुओं की व्यापक सरबंदी के साथ स्वीकृति पत्र के नवीनीकरण के लिए मेसर्स केजीके जेम्स (विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई) का प्रस्ताव:

4.1 मौजूदा स्वीकृति पत्र नंबर 2-12/2004-विशेष आर्थिक क्षेत्र-II (जे) परियोजना /516 दिनांक: 26.052004 के नवीनीकरण के लिए मेसर्स केजीके जेम्स (विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई), प्लॉट नंबर जी-97, विशेष आर्थिक क्षेत्र-II, सीतापुरा, जयपुर का प्रस्ताव बैठक में अधिकृत वस्तुओं की व्यापक सरबंदी पर चर्चा की गई।

4.2 श्री प्रदीप शर्मा, लेखा प्रबंधक, इकाई की ओर से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया। समिति द्वारा पूछे जाने पर, उन्होंने बताया कि इकाई आगे की कार्रवाई के लिए टिप्पणियों के सही विवरण और उत्तरों के साथ संशोधित फॉर्म-एफ1 जमा करेगी।

4.3 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से कमियों के सुधार के अधीन स्वीकृति पत्र के नवीनीकरण को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी। इसके अलावा, समिति ने निम्नलिखित वस्तुओं को छोड़कर स्वीकृति पत्र में वस्तुओं/अधिकृत संचालन वस्तुओं के निर्माण को भी मंजूरी दे दी:

क्रमांक	आईटीसी/सीपीसी कोड	वस्तु विवरण:	मीट्रिक	उत्पादन क्षमता
1.	71131149	अन्य चाँदी के आभूषण	किग्रा	1000
2.	71131919	अन्य सोने के आभूषण	किग्रा	100

4.4 यह प्रस्ताव पहले से बताई गई कमियों/टिप्पणियों के सुधार और 1.15 लाख रुपये के रीको के बकाया को जमा करने और साझेदारी विलेख में बदलाव के कारण रीको के संशोधित पट्टा विलेख को जमा करने के अधीन है। इकाई वाणिज्य विभाग द्वारा जारी वि.व्या.नी 2015-20 से संबंधित निर्देश संख्या 88 दिनांक 16.08.2017 का सख्ती से पालन करेगी। इसके अलावा, इकाई उपरोक्त उद्देश्यों के लिए बांड सह कानूनी उपक्रम भी निष्पादित करेगी।

कार्यसूची नंबर 5: नई वस्तुओं को जोड़ने/संशोधित करने के लिए मेसर्स विनायक ज्वेल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड का प्रस्ताव:

5.1 मेसर्स विनायक ज्वेल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर एच-58(ए), एच-58(बी), और एच-60, और एच-61,, विशेष आर्थिक क्षेत्र-II, सीतापुरा, जयपुर के मौजूदा स्वीकृति पत्र संख्या 2-142-विशेष आर्थिक

सुरेंद्र मालिक

क्षेत्र-II (जे) परियोजना/787 दिनांक: 14.11.2006 में नई वस्तुओं को जोड़ने/संशोधन प्रस्ताव पर बैठक में चर्चा की गई।

5.2 श्री विकास अग्रवाल, वरिष्ठ प्रबंधक इकाई की ओर से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया। समिति द्वारा पूछे जाने पर, उन्होंने बताया कि इकाई आगे की कार्रवाई के लिए टिप्पणियों के सही विवरण और उत्तरों के साथ संशोधित फॉर्म-एफ3 जमा करेगी।

5.3 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से मौजूदा स्वीकृति पत्र में वस्तुओं को जोड़ने/संशोधित करने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी, जो हीरे से जड़ित चांदी के आभूषणों के समूह के निर्यात के साक्ष्य प्रस्तुत करने और पहले से बताई गई कमियों के अधीन है।

5.4 अनुमोदन इकाई को पहले ही बताई गई टिप्पणियों के सुधार के अधीन है। इकाई वाणिज्य विभाग द्वारा जारी वि.व्या.नी 2015-20 से संबंधित निर्देश संख्या 88 दिनांक 16.08.2017 का सख्ती से पालन करेगी। इसके अलावा, इकाई हीरे से जड़ित चांदी के आभूषणों की संभालना के संबंध में विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, नोएडा के पत्र संख्या 1158 दिनांक 31.01.2023 के माध्यम से जारी मानक संचालन प्रक्रिया का भी पालन करेगी। इसके अलावा, इकाई उपरोक्त उद्देश्यों के लिए बांड सह कानूनी उपक्रम भी निष्पादित करेगी।

कार्यसूची नंबर 6: निदेशकों और शेयरधारिता स्वरूप में बदलाव के लिए मेसर्स निगम ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड का प्रस्ताव:

6.1 मौजूदा स्वीकृति पत्र नंबर 1-15/2003-विशेष आर्थिक क्षेत्र-I (जे) परियोजना/2170 दिनांक 01.11.2003 में निदेशकों और शेयरधारिता स्वरूप में बदलाव के लिए मेसर्स निगम ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर एच-45, विशेष आर्थिक क्षेत्र-I, सीतापुरा, जयपुर का प्रस्ताव पर बैठक में चर्चा की गई।

6.2 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने वाणिज्य विभाग द्वारा जारी निर्देश संख्या 109 दिनांक: 18.10.2021 के अनुसार नीचे उल्लिखित निदेशकों और शेयरधारिता पैटर्न में बदलाव के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से कमियों के सुधार के अधीन मंजूरी दे दी:

मौजूदा निदेशक/ शेयरधारिता		संशोधित निदेशक/ 27.02.2023 से शेयरधारिता	
निदेशकों का नाम	साझा आवंटन	निदेशकों का नाम	साझा आवंटन
श्री जीतेन्द्र कुमार निगम	75%	श्री नरेंद्र कुमार निगम	75%
श्री राजेंद्र निगम	25%	श्री राजेंद्र निगम	25%
कुल	100	कुल	100

कार्यसूची नंबर 7: भागीदारों और शेयरधारिता स्वरूप में बदलाव के लिए मेसर्स ए-वन ज्वेलरी का प्रस्ताव:

7.1 मौजूदा स्वीकृति पत्र नंबर 1-21/2003-विशेष आर्थिक क्षेत्र-I (जे) परियोजना/2175 दिनांक 31.10.2003 में भागीदारों और शेयरधारिता स्वरूप में बदलाव के लिए मेसर्स ए-वन ज्वेलरी, प्लॉट नंबर एच1-10-11, विशेष आर्थिक क्षेत्र-I, सीतापुरा, जयपुर का प्रस्ताव पर बैठक में चर्चा की गई।

सुरेंद्र मलिक

7.2 श्री पंकज बरदिया, भागीदार, इकाई की ओर से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया। समिति द्वारा पूछे जाने पर, उन्होंने बताया कि इकाई आगे की कार्रवाई के लिए टिप्पणियों का जवाब प्रस्तुत करेगी।

7.3 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से वाणिज्य विभाग द्वारा जारी निर्देश संख्या 109 दिनांक: 18.10.2021 के संदर्भ में नीचे उल्लिखित शेरधारिता स्वरूप में बदलाव के प्रस्ताव को कमियों के सुधार के अधीन मंजूरी दे दी:

क्रमांक	दिनांक	भागीदार के नाम	01.05.2022 से नया शेरधारिता अनुपात
1.	01.05.2022	श्री कमल कुमार कोठारी	10%
2.	01.05.2022	श्री विनय चंद कोठारी	10%
3.	01.05.2022	श्री हीरा सिंह बैद	40%
4.	01.05.2022	श्रीमती नेहा बैद	30%
5.	01.05.2022	श्री पंकज बरडिया	10%
		कुल	100%

कार्यसूची नंबर 8 अधिकृत वस्तुओं की व्यापक सरबंदी के साथ स्वीकृति पत्र के नवीनीकरण के लिए मैसर्स मोहन एक्सपोर्ट्स का प्रस्ताव:

8.1 बैठक में अधिकृत वस्तुओं की व्यापक सरबंदी के साथ स्वीकृति पत्र के नवीनीकरण के लिए मैसर्स मोहन एक्सपोर्ट्स, प्लॉट नंबर जी1-47, विशेष आर्थिक क्षेत्र-II, सीतापुरा, जयपुर के प्रस्ताव पर चर्चा की गई।

8.2 अनुमोदन समिति के समक्ष कोई उपस्थित नहीं हुआ।

8.3 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव को स्थगित कर दिया। इसके अलावा, अनुमोदन समिति ने इकाई के लिए इस बीच पहले से बताई गई सभी कमियों की पुष्टि करने के लिए अवलोकन किया है।

कार्यसूची संख्या 9: जयपुर विशेष आर्थिक क्षेत्र, सीतापुरा, जयपुर, (राजस्थान) में एक इकाई की स्थापना के लिए मैसर्स एसजेएफ ज्वेल्स का प्रस्ताव:

9.1 बैठक में विशेष आर्थिक क्षेत्र-II, सीतापुरा, जयपुर (बहु क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र) में रीको द्वारा आवंटित प्लॉट नंबर एच-152 पर एक इकाई स्थापित करने के लिए मैसर्स एसजेएफ ज्वेल्स के प्रस्ताव पर चर्चा की गई।


9.2 श्री नवीन प्रजापति और श्री अपूर्व मिश्रा (दोनों भागीदार) फर्म की ओर से भौतिक माध्यम से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया। समिति द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि इकाई यथाशीघ्र आवश्यक विवरण प्रस्तुत करेगी।

9.3 अनुमोदन समिति ने इकाई द्वारा समय पर आवश्यक विवरण उपलब्ध न कराने को भी गंभीरता से लिया। समिति ने इकाई को जल्द से जल्द खरीदार का ऑर्डर देने का भी निर्देश दिया।


सुरेंद्र मलिक

9.4 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को इस निर्देश के साथ स्थगित करने का निर्णय लिया कि इकाई से पूर्ण उत्तर प्राप्त होने के बाद ही प्रस्ताव को फिर से प्रस्तुत किया जाए। इकाई को पहले से बताई गई कमियों का पूरा जवाब जल्द से जल्द देने का भी निर्देश दिया गया।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।


(सुरेंद्र मलिक)

संयुक्त विकास आयुक्त


(ए. बिपिन मेनन)

विकास आयुक्त